स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन सेवा समिति।
2. संस्था का पता : मो0- "गुरू आश्रम" ग्राम व पोस्ट नीमगांव जिला-लखीमपुर-खीरी
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष।
4. संस्था के उद्देश्य :

1. जन साधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक व बौद्धिक विकास करना।
2. ज्ञान वर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना।
3. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर आदि का आयोजन व संचालन करना।
4. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना जिनमें प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था करना
5. साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, कृषि एवं शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना।
6. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, टाईप शार्ट हैण्ड शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना।
7. महिलाओं/छात्राओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई एवं शिल्पकला, व्यूटीशियन, कूकरी, फैशन डिजाइनिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना।
8. हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत भाषा में शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना।
9. समाज के मूक-बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों तथा निराश्रितों एवं बेरोजगारों के उत्थान एवं कल्याण हेतु राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन करना।
10. अनुसूसिचत जातियों/जनजातियों/अल्पसंख्यक/दलितों/पिछड़ी जातियों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।
11. समाज कल्याण विभाग उ0 प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिफ्सा, सैफ, इण्डिया, नौराड, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेल्पेज इण्डिया आक्सकेम इण्डिया द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।
12. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ0 प्र0, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग कमीशन की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योगों की स्थापना व संचालन करना।
13. राष्ट्रीय एकता एवं सामप्रदायिक सद्भावना शिविरों का संचालन करना।
14. पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, वृक्षारोपण, ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम, जन संख्या नियन्त्रण, सामाजिक वानिकी पशुपालन कुक्कुट पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।

1- लल्लूराम
2- Harinam
3- Garjan
4- सोमवती
5- श्री देवी
6- Kusum
7- केशवराम

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
[illegible] मण्डल, [illegible]

प्राचार्य
कमलापति गुरू [illegible] गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगर विकास खण्ड बहजम जिला-खीरी

15. दैवी आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, आग्नकाण्ड, भूकम्प आलावृष्ट तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।
16. जन हितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, विधवा आश्रम, वृद्धाआश्रम, शिशुपालन गृह, बालबाडी, आगंनवाड़ी आदि की स्थापना व संचालन करना।

5. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनका संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है :-

क्र0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री लल्लू राम पुत्र श्री खगेश्वर	ग्राम मूड़ा बुजुर्ग पोस्ट नीमगांव, जिला-खीरी	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री हरिनाम सिंह पुत्र श्री जगतपाल	"	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्रीमती कमला गार्जन पत्नी श्री गुरू प्रसाद गार्जन	ग्राम व पोस्ट नीमगांव जिला-खीरी	प्रबन्धक/मंत्री	गृहकार्य
4.	श्रीमती सोमवती पत्नी श्री नत्थूलाल	मु0 रमुआपुर पो0-लखीमपुर जिला-खीरी	उपप्रबन्धक	"
5.	श्रीमती श्री देवी पत्नी श्री राजेश्वर दयाल	ग्राम मूड़ानीमगांव पो0-नीमगांव जिला-खीरी	कोषाध्यक्ष	"
6.	श्रीमती कुसुम वर्मा पत्नी श्री राम मिलन	ग्राम व पोस्ट नीमगांव जिला-खीरी	सदस्य	"
7.	श्री केशव राम पुत्र श्री खन्झन लाल	ग्राम मूड़ा बुजुर्ग पो0-नीमगांव जिला-खीरी	सदस्य	कृषि

6. हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते है कि हमनें इस स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक : 25.09.2003

हस्ताक्षर :-

1. लल्लू राम
2. Hari Nam
3. खगेश्वर
4. सोमवती
5. श्री देवी
6. Kusum
7. केशवराम

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखीमपुर खीरी, लखीमपुर

प्राचार्य
कमलापति गुरु प्रसाद गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बेहजम जिला-खीरी

नियमावली

1. संस्था का नाम : *कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन सेवा समिति।*
2. संस्था का पता : मो0 गुरू आश्रम ग्राम व पोस्ट नीमगांव जिला-लखीमपुर-खीरी
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

आजीवन सदस्यता :-

जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक मुश्त 1000/ रूपये नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य :-

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100/- रूपये वार्षिक प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानि कर कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव एवं त्याग पत्र पारित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
6. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
7. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।

1- ललमूराम

2- Hari Ram

3- Gayan

6. *संस्था के अंग :-*
   (अ) साधारण सभा।
   (ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

7. *साधारण सभा :-*

गठन :-

संस्था के आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें :-

साधारण सभा की सामान्य वैठक साल में एक बार होगी व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :-

साधारण सभा की सामान्य वैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

गणपूर्ति :-

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :-

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रवन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

प्राचार्य
कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन सेवा समिति
ग्रामनगर विकास खण्ड बहजम जिला-सीतापुर

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखीमपुर-खीरी, लखनऊ

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. संस्था का बजट वार्षिक तैयार करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन व परिवर्धन 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित करना।

8. *प्रबन्धकारिणी समिति :-*

गठन :-

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष-एक, उपाध्यक्ष-एक, प्रबन्धक /मंत्री-एक, उपप्रबन्धक-एक, कोषाध्यक्ष-एक, सदस्य दो होंगे। इस प्रकार कुल संख्या 07 होगी। जो आवश्यकतानुसार सदस्य संख्या बढ़ाई ~~[illegible]~~ जा सकती है।

बैठकें :- Kgarjan

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थान की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई भी आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों, दानशील व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों, समाज कल्याण विभाग, उ० प्र० केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधान विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिफ्सा, सैफ, इण्डिया, नौरार्ड, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेल्पेज इंडिया आक्सकेम इण्डिया, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय, अर्न्तराष्टर्थय वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, वित्तीय निगमों,, एवं अन्य श्रोतों से ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
5. संस्था के लिए चल/अचल सम्पत्ति दानस्वरूप प्राप्त करना क्रय करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।

1- लल्लूराम

2- Haminam

3- Kgarjan

.....3/

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

प्राचार्य
कमलापति ...
ग्रामनगर विकास खण्ड बहजोगिता-खीरी

6. संस्था की शाखाओं/उप समितियों का गठन करना और उन पर नियंत्रण रखना।

कार्यकाल :-

कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

9. *प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य* :-

अध्यक्ष :-

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन करना, तिथियों में परिवर्तन करना और बैठकों को स्थगित करना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
5. संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

उपाध्यक्ष :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना और उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

प्रबन्धक/मन्त्री :-

1. संस्था का कार्य मुख्य कार्य पालक के रूप में करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
3. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
4. राजकीय सहायता एवं अनुदान व ऋण प्राप्त करना।
5. सदस्यों की सदस्यता हेतु स्वीकृति प्रदान करना।
6. सदस्यों का नाम रजिस्टर में लिखना।
7. संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
8. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।
9. बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना।
10. संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना।
11. संस्था समस्त चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना और उस पर नियन्त्रण रखना।
12. संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
13. वैतनिक कर्मचारियों/अध्यापकों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति व वेतनवृद्धि करना।
14. समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
15. संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना।
16. समस्त बिल व बाउचरों, अनुबन्ध पत्रों, अनुबन्ध पत्रों, संविदों आहरण पत्रों, नियुक्ति पत्रों, लेखों, विलेखों आदि पर हस्ताक्षर करना।
17. संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

उपप्रबन्धक :-

प्रबन्धक/मन्त्री की अनुपस्थिति में कार्य करना और उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

1- लल्लूराम

2- Hari nam

3- Kanjan

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

प्राचार्य
कमलापति गुप्ता पद्म गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बहजम जिला-सीतापुर

कोषाध्यक्ष :

1. आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना।
2. प्रबन्धक/मन्त्री द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
3. दान च चन्दा/सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।
4. समिति के आकस्मिक कार्य हेतु 1000/- तक नगद रखना।

10. *संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-*
साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के निमयों व विनियमो मे संधोधन, परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा।

11. *संस्था का कोष :-*
संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

12. *संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :-*
संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

13. *संस्था के द्वारा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :-*
संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/मंत्री पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा।

14. *संस्था के अभिलेख :-*
(अ) सदस्यता रजिस्टर।
(ब) कार्यवाही रजिस्टर।
(स) स्टाफ रजिस्टर।
(द) कैश बुक आदि।

15. संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी। :-

(सत्यप्रतिलिपि)

दिनांक : 25.09.2003

हस्ताक्षर :

1. [illegible]
2. Hariram
3. [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
[illegible], [illegible]

प्राचार्य
कमलापति गुरुप्रासाद गार्जन महाविद्यालय
[illegible], विकास खण्ड बहजम जिला [illegible]

कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007

(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

पत्र संख्या : R/360 / सम्ब.अनु. / 2024

दिनांक : 30/05/2024

रजिस्टर्ड / स्पीडपोस्ट / व्यक्तिगत

प्रबन्धक,

कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय,

नगरा, नीमगांव, लखीमपुर–खीरी।

विषय : महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 22.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में सूच्य है कि मा0 कुलपति महोदय ने सम्यक विचारोपरान्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के गठन को चुनाव की तिथि 20.03.2024 से 05 वर्षो अथवा मात्र संस्था के नवीनीकरण की तिथि दिनांक 30.09.2028 जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। निर्वाचित प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची निम्नांकित है :–

क0सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पद
1.	श्री लल्लूराम	श्री खगेश्वर	अध्यक्ष
2.	श्रीमती कनक लता	श्री अशोक कुमार	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती कमला गार्जन	श्री गुरू प्रसाद गार्जन	प्रबन्धक / मंत्री
4.	श्रीमती सोमवती	श्री नत्थूलाल	उप प्रबन्धक
5.	श्रीमती श्री देवी	श्री राजेश्वर दयाल	कोषाध्यक्ष
6.	श्रीमती सुमन	श्री बुद्धाराम	सदस्य
7.	श्री केशव राम	श्री खन्झन लाल	सदस्य
8.	प्राचार्य	———	पदेन सदस्य
9.	शिक्षक	———	शिक्षक प्रतिनिधि
10.	शिक्षक	———	शिक्षक प्रतिनिधि
11.	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	———	शिक्षणेत्तर प्रतिनिधि

उक्त प्रबन्ध समिति में क्रमांक 09, 10, एवं 11 के सदस्य वरिष्ठता क्रम में चक्रानुसार प्रति वर्ष बदलते रहेंगे। कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रमोद कुमार मिश्र)
उपकुलसचिव(सम्ब.)

दिनांक :

संख्या :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव, कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
3. गार्ड फाईल।

उपकुलसचिव(सम्ब)

प्राचार्य
कमलापति गुरुप्रासाद गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बेहजम जिला–खीरी